[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड **(ii)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

आदेश सं. **04/**2018-केंद्रीय कर

नई दिल्ली **31** दिसंबर, **2018**

का.आ.....(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 52 की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रहण करता है, उसके द्वारा की जाने वाली माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्तियां भी हैं, के ब्यौरे और मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत के पश्चात् दस दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से एक विवरण प्रस्तुत करेगा ;

और कतिपय प्रचालक, जो सामान्य पोर्टल पर उनके द्वारा तकनीकी कठिनाईयों का सामना करने के कारण रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असमर्थ रहे थे किंतु उन्होंने अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए रकम का संग्रहण किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन वे विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके और जिसके कारण उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उद्भूत हुई हैं;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम–इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 की उपधारा (4) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2018 मास के लिए उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख 31 जनवरी, 2019 होगी।"।

[फा. सं. 20/06/16/2018-GST]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार